


ऊर्ध्व अहकान

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ बहोदा बन्धान नैसर्ग स्वास्तिक पैनाल

प्रकरण संख्या 175/2020 (धारा 14 सिन्डिकेटेड ईजेसन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। समय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक ने धारा 14 के प्रार्थना पत्र में प्लॉट नम्बर ए-107 रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया एनएच-11 आगरा रोड बस्ती का कब्जा लिपे जाने का निवेदन किया है। जबकि प्रार्थना पत्र के समर्थन प्लॉट नम्बर 108 औद्योगिक क्षेत्र बस्ती की लीज खीड़ संलग्न की गई है। प्रार्थी बैंक की ओर से इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः धारा 14 सरफेसी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक बाद पूर्ति नये तारे से धारा 14 सरफेसी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	